प्रेस विज्ञप्ति
17.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम ने 15.01.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, गुडीवाड़ा (गेट्स), आंध्र प्रदेश के जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की निधि के डायवर्जन के संबंध में 3.44 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की तेरह अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां स्वर्गीय वेमुलापल्ली वेंकटेश्वर राव, सचिव गेट्स और उनके परिवार के सदस्यों की हैं।

ईडी ने गुडीवाड़ा पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत वेमुलापल्ली वेंकटेश्वर राव और अन्य के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गेट्स के तत्कालीन सचिव वेमुलापल्ली वेंकटेश्वर राव और उनके परिवार के सदस्यों ने गेट्स की मूल्यवान संपत्तियों को बहुत कम मूल्यों पर हस्तांतरित किया और खातों की पुस्तकों में नकद राजस्व दर्ज न करके सोसायटी के धन को डायवर्ट किया।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपियों ने जानबूझकर विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके सोसायटी के संचालन से नकदी में राजस्व एकत्र किया, जैसे - बिना किसी भुगतान रसीद जारी किए ग्राहकों को सोसायटी के सभागारों को किराए पर देना और नकद में शुल्क प्राप्त करना; सोसायटी से संबंधित सुरक्षा जमा नकद में प्राप्त करना; और सोसायटी के कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन हस्तांतरित करना और उसके बाद उन्हें अतिरिक्त वेतन नकद में वापस लेने और इसे आरोपियों को सौंपना।

उक्त कार्यप्रणाली का उपयोग करके, सोसायटी (गेट्स) में उत्पन्न लगभग 3.44 करोड़ रुपये (लगभग) नकद राजस्व को इसके खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था और आरोपियों द्वारा हड़प लिया गया था। अपराध की उक्त आय (पीओसी) को बाद में आरोपी व्यक्तियों द्वारा परिवार के सदस्यों और सोसायटी के अधिकारियों के बैंक खातों में नकद जमा के माध्यम से डायवर्ट किया गया था। अंततः आरोपियों द्वारा गेट की संपत्तियों सहित विभिन्न संपत्तियों की खरीद के लिए पीओसी का उपयोग किया गया था, जिन्हें उनके प्रचलित बाजार मूल्यों से बहुत कम कीमतों पर हासिल किया गया था। जांच के दौरान पीओसी से हासिल की गई ऐसी कई संपत्तियों को ईडी द्वारा कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।